



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

nwda.gov.in



File No.- CE-14023/2/2023/ 3661-87

दिनांक 05.05.2024

कार्यलय आदेश संख्या 857/2024

फरवरी माह के AEBAS रिकॉर्ड में यह पाया गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है न ही उनका कोई अवकाश आवेदन प्रशासन अनुभाग को प्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

S.no.	Name	No. of days which attendance is not marked as per AEBAS report	Period of leave on which leave application is not found
1.	Shri. Mahender, LDC	04	05,15,26,28 Feb.2024
2.	Shri Yogesh, UDC	04	15,21 to 23 Feb.2024
3.	Smt. Nirmala Singh, Steno	03	06,23,27 Feb.2024
4.	Smt. Deepika Sharma, DD	18	01,13 to 29 Feb.2024
5.	Smt. Jaswinder Kaur, DD	25	01 to 25 Feb.2024
6.	Shri. Umesh Chandra	02	19,26 Feb.2024
7.	Shri. Amit, LDC	01	16.02.2024
8.	Shri. Keshav Mudgal, LDC	05	13,15,16,23,26, Feb.2024
9.	Shri. Chetan Sharma, LDC	02	09,14 Feb.2024
10.	Shri. Deepak Verma, AO	02	08,09 Feb.2024
11.	Md. Nabeel Ansari, JA	05	12 to 16 Feb.2024
12.	Md. Irfaan, UDC	01	28 Feb.2024
13.	Shri. S.B. Pandey, JAO	03	08,09,26 Feb.2024
14.	Shri. Sushant S Ruke, JA	05	06 to 09 Feb.2024 and 14.02.2024
15.	Shri. Yogesh Dahiya, LDC	01	06 Feb.2024
16.	Smt. Indu Jaiswal, AEE	02	01 to 02 Feb.2024
17.	Shri. J.D. Pandey, EE	20	01 to 20 Feb.2024
18.	Shri. Kamaljit Chauhan, D/man	01	01.02.2024
19.	Shri. Krishna Gurjar, JE	06	08,09,13,14,15,16 Feb.2024
20.	Shri. Anil Kumar Diwedi, AD	02	01,25 Feb.2024
21.	Shri. Akshit Rohilla, Hindi Translator	01	25.02.2024

(Signature) 13/05/2024



सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके नाम के सामने चिह्नित दिनों की छुट्टी इसके जारी होने के 2 दिनों के भीतर उनके द्वारा समायोजित कर ली जाए, अन्यथा अनुपस्थित अवधि के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसे मुख्य अभियंता (मु.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(खुशाल सिंह)

उपनिदेशक प्रशासन

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (मु.), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली।
2. निदेशक (वित्त/एम.डी.यू/तक.), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता (उत्तर/दक्षिण), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली।
4. सभी संबंधित कर्मचारी।
5. सेंट D. Hande.